



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 29 जनवरी, 2026 ई०
माघ 09, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

संख्या 253/VII-A-1/2026-24(ख)/2007 टी०सी०
देहरादून, 29 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प० आ०-02

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में आवंटित खनन लॉटों (गौला, कोसी, दाबका एवं नन्धौर नदियों) हेतु अधिसूचना संख्या 613/VII-A-1/2025-24(ख)/2007टी०सी०, दिनांक 07.03.2025 द्वारा निर्गत संशोधित/पुनर्निधारित बिक्री दरों में टंकित "नन्धौर" शब्द को संशोधित करते हुये पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 96/VII-A-1/2025-24(ख)/2007टी०सी०, दिनांक 20.01.2023 के अनुरूप "नन्धौर" एवं अन्य नदियों" किया जाता है।

उपरोक्त संगत अधिसूचना दिनांक 07.03.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है, जिसे भविष्य में तदनुसार संशोधित रूप से पढ़ा एवं समझा जाये, शेष सभी यथावत लागू रहेंगे।

बृजेश कुमार संत,
सचिव।